

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पेताउम्रीसागर की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 118 में समती देवी के नाम समती देवी के नाम समती देवी सही नाम समती देवी है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:- 17.6.22प्रार्थी
समती

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम पेताउम्रीसागर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 118 में प्रार्थी का नाम समती देवी दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न समती देवी व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम समती देवी है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

मि. डी. लिमा17/6/22पटवारी शाहपुरारिपोर्ट तहसीलदार श्री. डी. लिमा

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी शाहपुरा व भू0अ0नि0 मि. डी. लिमा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम पेताउम्रीसागर की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की खाता संख्या 118 में प्रार्थी का नाम समती देवी के बजाय समती देवी किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

17.6.22
तहसीलदार

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम पेताउम्रीसागर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 118 में दर्ज प्रार्थी का नाम समती देवी के स्थान पर समती देवी संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)